



क्रमांक / 7113 / अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर, दिनांक 04/01/2020
04 JAN 2020

// कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण //

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के 25वीं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.12.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1. प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , अध्यक्ष
कुलपति,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
2. माननीय श्री चंदन कश्यप, विधायक विधानसभा सदस्य
84 नारायणपुर
3. डॉ. कोमल सिंह शारवा, प्राचार्य प्राचार्य – सदस्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तई
4. डॉ. रश्मि सिंह, प्राचार्य प्राचार्य – सदस्य
शास. महर्षि वाल्मीकी पी.जी. महाविद्यालय भानुप्रतापपुर
5. डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक संकायाध्यक्ष – सदस्य
शास. दन्तेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय दन्तेवाड़ा
6. श्री आई.पी.तिवारी, प्राचार्य प्राचार्य – सदस्य
श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर
7. संभागीय संयुक्त संचालक, सदस्य
(कोष, लेखा एवं पेंशन) बस्तर जगदलपुर
8. डॉ. व्ही.के.पाठक, सचिव
कुलसचिव,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

आमंत्रित सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से

कार्यवाही प्रारंभ की गई।

04 JAN 2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :-

कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से 24वीं कार्यपरिषद बैठक के कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक -2

राज्यपाल के अवर सचिव, राजभवन, रायपुर के पत्र क्रमांक /5660 /8913 /2018 / रास /यू.-8 रायपुर दिनांक 30.11.2019 के अनुसार दिनांक 31.01.2020 को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह के आयोजन की सहमति प्रदान की गई है। प्रो. अनिल कुमार गुप्ता, आई.आई.एम. अहमदाबाद द्वितीय दीक्षांत समारोह के मुख्य वक्ता होंगे। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :-

सूचना ग्रहण की गई। यदि भविष्य में दीक्षांत समारोह की तिथि में राजभवन से परिवर्तन होता है तो परिवर्तन तिथि में दीक्षांत समारोह कराया जाय।

विषय क्रमांक -3

बस्तर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न भवन निर्माण संबंधी कार्यों की सत्त निगरानी तथा कार्यों में उत्कृष्टता हेतु Additional Statute No. -3 (1)(5) Two members nominated by the Executive Council not necessary form amongst themselves. के अनुसार भवन समिति के दो सदस्य नामित करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :-

श्री प्रितेश दोषी, बालाजी वार्ड सजावट जगदलपुर एवं श्री वर्गीश बिल्डर्स C/o श्री वर्गीश विशाल मेघा मार्ट, धरमपुरा नं. -1 जगदलपुर को भवन समिति में सदस्य नामित किया गया है।

विषय क्रमांक -4

कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा कार्यालयीन कार्यों हेतु विश्वविद्यालय से वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्वयं के वाहन उपयोग करने पर दस रु. प्रतिकिलोमीटर एवं कार्यालयीन लिपिक के द्वारा स्वयं के मोटर सायकल का उपयोग करने पर छः रु. प्रतिकिलोमीटर से दर से भुगतान करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :-

स्वयं के वाहन से यात्रा करने की अनुमति कुलसचिव से प्राप्त कर यात्रा करने के उपरांत देयक प्रस्तुत करने पर शासन के नियमानुसार टी.ए. देय होगा।

कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा रा.से.यो प्रकोष्ठ के सुचारु रूप से संचालित करने हेतु इन्टरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर सेट एवं एक अतिरिक्त कक्ष प्रदाय करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :-

उपलब्धता के आधार पर रा.से.यो. प्रकोष्ठ को इन्टरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर सेट एवं एक अतिरिक्त कक्ष प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्रमांक -6

शैक्षणिक सत्र 2018-19 के मुख्य परीक्षाओं का गोपनीय मुद्रण भुगतान राशि रु. 72,35,176/- (बहत्तर लाख, पैंतीस हजार, एक सौ, छिहत्तर मात्र) संबंधित मुद्रणकर्ता को किया गया है, उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :-

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक -7

बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन मजदूरों को टी.ए./डी.ए. एवं अन्य भत्ता प्रदाय करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :-

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा परीक्षा/गोपनीय एवं प्रशासनिक कार्य से समय-समय पर दैनिक वेतन मजदूरों को विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों/मूल्यांकन केन्द्रों में भेजा जाता है। बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में नियमित कर्मचारियों की कमी होने कारण उक्त कार्य के लिये दैनिक वेतन मजदूरों से ही कार्य करवाया जा रहा है। अतः बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत समस्त दैनिक वेतन मजदूरों को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान उपरोक्त कार्य के लिये टी.ए./डी.ए. एवं अन्य भत्ता प्रदाय किया जा सकता है।

निर्णय :-

कार्यालयीन प्रवास हेतु अधिकृत नियमित कर्मचारी को अग्रिम प्रदाय कर प्रवास में संलग्न दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान यात्रा भत्ता देय होगा तथा नियमित कर्मचारी उक्त अग्रिम राशि से समायोजन करने का निर्णय लिया गया है।


04 JAN 2020

वर्ष 2013 में अशैक्षणिक पदों के सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित विज्ञापन को निरस्त करने के पश्चात् अभ्यर्थियों के शुल्क वापसी एवं आवेदन फार्म को नष्ट करने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :-

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के विज्ञापन क्रमांक 1198/स्था/ब.वि.वि./2013 जगदलपुर, दिनांक 22.05.2013 के अनुसार अशैक्षणिक के विभिन्न तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 03 में - पद भरने या नहीं भरने या विज्ञापन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4346/ब.वि.वि./सा. प्रशा./2017 जगदलपुर, दिनांक 03.08.2017 के अनुसार अशैक्षणिक के विभिन्न तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन को निरस्त किया गया है।

उक्त विज्ञापन के बिन्दु क्रमांक -3 के अनुसार तथा विज्ञापन देयक भुगतान करने के कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन फार्म के साथ जमा की गई राशि को वापस किया जाना उचित नहीं है तथा प्रकाशित विज्ञापन निरस्त होने के कारण आवेदकों से प्राप्त आवेदन फार्म को नष्ट किया जा सकता है।

निर्णय :-

अभ्यर्थियों के शुल्क वापस नहीं करने संबंधी पूर्ण अभिलेख के साथ आगामी कार्यपरिषद की बैठक एजेण्डा में प्रकरण पुनः शामिल करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक -9

अशैक्षणिक 10 पदों की लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र एवं OMR शीट मुद्रण के लिए संबंधित मुद्रणकर्ता से प्राप्त देयक के अनुसार राशि रु. 4,85,744/- (चार लाख, पचयासी हजार, सात सौ, चवालीस) भुगतान करने के संबंध प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :-

बस्तर विश्वविद्यालय के विज्ञापन क्रमांक 2460/सा.प्रशा./ब.वि.वि./2018 जगदलपुर, दिनांक 19.09.2018 के अनुसार तृतीय श्रेणी के भर्ती हेतु सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाईपिस्ट, सहायक वर्ग-3 एवं वाहन चालक की लिखित परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत प्रिन्टर से प्रश्न पत्र एवं OMR शीट मुद्रण कार्य करवाया गया था। संबंधित मुद्रणकर्ता द्वारा प्राप्त देयक अनुसार राशि रु. 4,85,744/- (चार लाख पचयासी हजार, सात सौ, चवालीस रु.मात्र) का भुगतान किया जा सकता है।

निर्णय :-

आचार संहिता समाप्त होने के बाद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

04 JAN 2020

छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर के पुराने विज्ञापनों एवं मुद्रण के लंबित देयकों की राशि रू. 71,27,850/- भुगतान करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :-

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.) द्वारा समय-समय पर जारी विज्ञापन, मुद्रण एवं अन्य कार्य छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर (छ.ग.) से करवाया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन एवं मुद्रण कार्य का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्राप्त लंबित देयकों की राशि रू. 71,27,850/- (इकहत्तर लाख सत्ताईस हजार आठ सौ पचास रू.मात्र) आवश्यक परीक्षणोंपरांत भुगतान किया जा सकता है।

निर्णय :-

वित्त अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के बाद नियमानुसार पृथक-पृथक भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्रमांक -11

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा जारी संलग्न अधिसूचना क्रमांक 2781/कु.स./शोध/2015 रायपुर, दिनांक 16.02.2015 के अनुसार पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के लिए समेकित शुल्क संरचना अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में संचालित पी-एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु यथावत लागू करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :-

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में वर्ष 2016-17 से पी-एच.डी. पाठ्यक्रम संचालित है। पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृति शोधार्थियों से पंजीयन शुल्क रू. 5000.00 (पांच हजार मात्र), छ:माही शुल्क रू. 5000.00 (पांच हजार मात्र) एवं ग्रंथालय शुल्क 500.00 (पांच सौ मात्र) लिया जा रहा है।

अतः पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीकृत शोधार्थियों का उक्त शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा समेकित शुल्क संरचना की गई है। पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर समेकित शुल्क संरचना के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में लागू किया जा सकता है।

निर्णय :-

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा पी-एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु अधिसूचित समेकित शुल्क संरचना को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में संचालित पी-एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु यथावत लागू करने का निर्णय लिया गया है।

04 JAN 2020

बस्तर विश्वविद्यालय के अकादमिक, स्थापना, प्रशासन एवं पी-एच.डी. विभाग के लिए फोटोकॉपी मशीन 04 नग, लेजर प्रिन्टर 07 नग, स्केनर 04 नग, यू.पी.एस. 10 नग, कम्प्यूटर सेट 07 नग एवं लेपटॉप 01 नग क्रय करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :-

बस्तर विश्वविद्यालय के अकादमिक, स्थापना, प्रशासन एवं पी-एच.डी. विभाग में उपलब्ध फोटोकॉपी मशीन एवं प्रिन्टर अधिक पुराना होने के कारण बार-बार मरम्मत कराने के बाद भी सभी विभाग का कार्यालयीन कार्य सुचारु रूप से संचालित नहीं हो रहा है, जिससे कार्यालयीन कार्य प्रभावित हो रहा है।

उक्त विभागों के कार्यालयीन कार्यों का सुचारु रूप से संचालित करने हेतु संलग्न सूची अनुसार फोटोकॉपी मशीन, लेजर प्रिन्टर, स्केनर, यू.पी.एस., कम्प्यूटर एवं लेपटॉप क्रय किया जा सकता है।

निर्णय :-

पुराने फोटोकॉपी मशीन, लेजर प्रिन्टर, स्केनर, यू.पी.एस. कम्प्यूटर सेट अपलेखन नियमानुसार किया जाय तथा उक्त प्रस्ताव अनुसार नये क्रय करने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्रमांक –13

अन्य कोई पूरक विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

विषय क्रमांक –1

उप संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक/3093/1293/आउशि/सम./2019 अटल नगर, दिनांक 11.12.2019 एवं संदर्भित पत्र क्रमांक उप सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का पत्र क्रमांक एफ 10-11/2019/1/5 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18.11.2019 के द्वारा राज्य शासन डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत "अरपा पैरी के धार, महानदी हे अपार" को राज्य गीत घोषित किया है। उक्त राज्य गीत का गायन सभी शासकीय कार्यक्रमों के प्रारंभ में किये जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :-

सूचना ग्रहण की गई।


04 JAN 2020

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार समय पर परीक्षा एवं गोपनीय कार्य करने हेतु बोलेरो पीकप वाहन की आवश्यकता है, जिसे क्रय करने हेतु अनुमानित व्यय राशि रु. 7.00 लाख होगी। उक्त वाहन परीक्षा मद से क्रय किये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :-

आगामी कार्यपरिषद के बैठक एजेण्डा में प्रस्ताव पुनः शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्रमांक -3

विश्वविद्यालय परिसर की साफ-सफाई, घास एवं छोटी-छोटी झाड़ी की कटाई करने के लिए ग्रास कटर मशीन क्रय किया जाना है, जिसका अनुमानित लागत राशि रु. 15,000/- है। उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :-

विश्वविद्यालय परिसर की साफ-सफाई, घास एवं छोटी-छोटी झाड़ियों की कटाई करने के लिए प्रति वर्ष मजदूर लगाकर कार्य कराया जाता है। जिसमें अधिक समय एवं अधिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यक्रमों एवं स्वच्छता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मशीन क्रय किया जा सकता है।

निर्णय :-

नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति दी गई है।

विषय क्रमांक -4

विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित कुलपति निवास, कुलसचिव निवास, अधिकारी निवास एवं कर्मचारी निवास का मरम्मत/रंगरोगण लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर कराये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :-

विश्वविद्यालय आवासीय भवनों/बंगलों का निर्माण लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो गया है, परन्तु आवास का मरम्मत एवं रंगाई, पोताई का कार्य एक भी बार नहीं किया गया है। उक्त आवासों को आबंटित अधिकारी/कर्मचारियों से नियमानुसार उनके वेतन से हाऊस रेन्ट का कटौती होती है, और छ.ग.शासन द्वारा निर्धारित शुल्क भी लिया जा रहा है। वित्तीय सत्र 2019-20 के बजट में बस्तर विश्वविद्यालय के समस्त भवनों के सुधार एवं रंगरोगण आदि कार्य हेतु परीक्षा मद से राशि रु. 50.00 लाख व्यय करने हेतु बजट प्रावधानित है। उक्त प्रावधानित राशि में से विश्वविद्यालय के भवनों का मरम्मत कार्य माह दिसम्बर 2019 तक मात्र 4,08,000/- (चार लाख, आठ हजार) व्यय किया गया है।

उक्त प्रावधानित मद/बजट से सभी आवासीय भवनों का मरम्मत एवं रंगाई, पोताई कार्य कराया जा सकता है।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित कुलपति निवास, कुलसचिव निवास, अधिकारी निवास एवं कर्मचारी निवास का मरम्मत/रंगरोगण लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलन अनुसार कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्रमांक -5

विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व से निर्मित सी.सी.रोड़ का चौड़ीकरण तथा परिसर के मुख्य सी.सी.रोड़ से आवासीय परिसर और कुलपति निवास तक निर्मित सी.सी. रोड़ का मरम्मत एवं विश्वविद्यालय परिसर में विद्युतीकरण कार्य कराया जाना आवश्यक है। उक्त कार्यों का प्राक्कलन प्राप्त करने हेतु लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर पत्र प्रेषित किया गया है। प्राक्कलन अनुसार कार्य कराये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :-

बस्तर विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित सी.सी.रोड़ चौड़ा नहीं होने के कारण तथा सी.सी.रोड़ में विद्युतीकरण नहीं होने के कारण दोनो ओर अवागमन करने में असुविधा होती है। साथ ही परिसर के मुख्य सी.सी. रोड़ से आवासीय परिसर और कुलपति निवास तक निर्मित सी.सी.रोड़ जगह -जगह गढ़वा यथा खराब होने से गिट्टियों बाहर आ जाने के कारण आवागमन में असुविधा होती है एवं दुर्घटना का भय बना रहता है।

उक्त असुविधा तथा आगामी दीक्षांत समारोह को दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर से सी.सी. रोड़ का चौड़ीकरण एवं मरम्मत तथा विद्युतीकरण करने संबंधी प्राक्कलन प्राप्त कर निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

निर्णय :-

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन अनुसार कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्रमांक -6

विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य सड़क मार्ग तक सी.सी. रोड़ तथा मुख्य प्रवेश द्वार एवं गेट के मरम्मत/नवीन निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है। उक्त कार्यों का प्राक्कलन प्राप्त करने हेतु लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। प्राक्कलन अनुसार कार्य कराये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।


04 JAN 2020

बस्तर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य सड़क मार्ग तक सी.सी.रोड़ नहीं होने के कारण वर्षा ऋतु में कीचड़ हो जाता है, जिससे आने जाने में असुविधा होती है तथा विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित लोहे का दरवाजा खराब हो गया है, जिससे दरवाजा बंद नहीं हो पाता है। अतः प्रवेश द्वार एवं दरवाजे का मरम्मत अथवा नवीन प्रवेश द्वार एवं गेट का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है। आगामी दीक्षांत समारोह को दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर से मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य सड़क मार्ग तक सी.सी.रोड़ तथा मुख्य प्रवेश द्वार एवं गेट का प्राक्कलन प्राप्त कर निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

निर्णय :-

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन अनुसार कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्रमांक -7

बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह में वर्ष 2013 से 2019 तक निम्नानुसार उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदाय किया जाना है :-

क्र.	उपाधि का नाम	(वर्ष 2013 से 2019 तक) प्रदान की जाने वाली उपाधियों की संख्या
1	गोल्ड मेडल (UG + PG)	56 + 202 = 258
	दानदाता स्वर्ण पदक (UG + PG)	31
2	पी-एच.डी. उपाधि	निरंक
3	स्नातकोत्तर उपाधि	22797
4	स्नातक उपाधि	38490

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :-

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक -8

बस्तर विश्वविद्यालय के 10 अशैक्षणिक पदों के सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 11.11.2019 से 18.11.2019 तक आयोजित किया गया था। उक्त सभी पदों का कौशल परीक्षा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जगदलपुर में आयोजित किया जाना है। जिसमें राशि रु. 50,000/- व्यय सम्भावित है। उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :-

10 अशैक्षणिक पदों का कौशल परीक्षा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जगदलपुर में आयोजित कराये जाने की स्वीकृति तथा उक्त कौशल परीक्षा हेतु राशि रु. 50,000/- व्यय करने का निर्णय लिया गया है।


कूलपति


कूलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

04 JAN 2020

04 JAN 2020